Ph./Fax :- 06341-225175
E-mail :- mdmshekhpura@gmail.com

कार्यालय : जिला मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा

–: संवेदक चयन से संबंधित विज्ञापन सूचना :–

एतद् द्वारा शेखपुरा जिला अन्तर्गत तीन (03) प्रखंडों शेखपुरा, शेखोपुरसराय, घाटकुसुम्भा के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाकर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने हेतु मुहरबंद आवेदन/निविदा आमंत्रित किये जाते है। अधोलिखित शर्त्तो के अधीन मुहरबंद आवेदन **दिनांक 30.03.2017** के अप0 **05:00** बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा के कार्यालय में रजिस्ट्री डाक के माध्यम से प्राप्त किये जाएँगे। आवेदन/निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नही की जाएगी। बगैर मुहरबंद/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/ओभर राईटिंग किये गये आवेदन/निविदा अस्वीकृत कर दिये जाएगे। **स्थान जिला पदाधिकारी का वेश्म दिनांक 31.03.2017 के पूर्वा0 11:00 बजे** निविदा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा।

आवेदन/निविदा की शर्ते निम्नवत है :–

1. आवेदन में आवेदक को व्यवसायिक 05 ट्रैक्टर/ट्रक (जिसका रोड टैक्स/फिटनेस/इंश्योरेंस/परमिट अद्यतन है) मालिको का लिखित नन जुडिसयल स्टाम्प (मूल्य 100/–रू0 पर) एकरारनामा के साथ वाहन के अद्यतन रोड टैक्स/फिटनेस/इश्योरेंस पेपर/परमिट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन होने की स्थिति में वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/ट्रक को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव हेतु आवश्यकतानुसार संवेदक द्वारा बताये गये समय पर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। राज्य से बाहर के निबंधित वाहन का एकरारनामा मान्य नही होगा।

2. आवेदक को इस आशय का लिखित एकरारनामा भी प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने के स्थिति में निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2189 दिनांक 21.12.2016 के आलोक में संवेदक स्वयं Hanging Weigh Machine क्रय करेंगे तथा मध्याह्न भोजन योजना का चावल का प्रत्येक बोरा तौलकर विद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

3. आवेदक को 10000.00 (दस हजार) रूपये अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में (बैंक ड्राफ्ट जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा के पक्ष में देय होगा) आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो सेवा जारी रहने तक जमा रहेगा। संवेदक के रूप में चयन नही होने पर यह बैंक ड्राफ्ट संबंधित को वापस कर दिया जाएगा।

4. आवेदक को आवेदन के साथ आरक्षी अधीक्षक/पुलिस कप्तान निर्गत ''मूल चरित्र प्रमाण–पत्र'' जो तीन माह के अंदर निर्गत हो, समर्पित करना अनिवार्य होगा। छायाप्रति किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।

5. समान अर्हता की स्थिति में लॉट्री के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जायेगा।

6. संवेदक को पचास हजार रूपये का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा के पक्ष में जमा करना होगा।

7. समय पर कार्य में असफल होने अथवा कार्य असंतोषप्रद रहने पर संवेदक का सुरक्षित जमा राशि 10000.00 (दस हजार) रू0 जब्त कर ली जायेगी।

8. आवेदक का आयकर पैन कार्ड होना अनिवार्य है। जिसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. राज्य खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय के स्टोर तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न के बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न के क्षतिपूर्ति राशि संवेदक से वसूल किया जाएगा।

Ph./Fax :- 06341-225175
E-mail :- mdmshekhpura@gmail.com

10. एकरारनामा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए किया जाएगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषप्रद कार्य/गबन करने की स्थिति में एकरारनामा बीच में भी रद्द किया जा सकता है। उठाव में लापरवाही अथवा निष्क्रियता बरतने पर संवेदक से बाजार मूल्य पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है तथा काली सूची में नाम दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

11. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा किसी आवेदन को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी प्रकार की विवाद का निपटारा शेखपुरा जिला के न्यायिक क्षेत्र अन्तर्गत किया जाएगा।

12. चयन के लिए जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी मध्याह्न भोजन योजना जिला कार्यालय, शेखपुरा से प्राप्त की जा सकती है।

14. आवेदकों को विज्ञापन के शर्त के अनुसार 05 व्यवसायिक (ट्रैक्टर/ट्रक) वाहन से अधिक के स्थिति में/दूसरे प्रकार के वाहन से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने पर संबंधित आवेदक के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

15. आवेदक केवल एक ही प्रखंड के लिए आवेदन देंगे। एक ही आवेदक यदि एक से अधिक प्रखंड हेतु आवेदन देते है तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

16. आवेदक आवेदन पत्र तथा बंद लिफाफे पर निविदा आमंत्रित प्रखंड का नाम स्पष्ट रूप से दर्शायेंगे।

17. प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक उठाव किये गये खाद्यान्न को निर्धारित विद्यालय में अवश्य पहुँचा देंगे इसे भण्डारित करना सर्वथा वर्जित है।

18. विज्ञापन से संबंधित जानकारी जिला के बेवसाईट **www.sheikhpura.bih.nic.in** पर देखी जा सकती है।

<u>आवेदन /निविदा जमा करने का पता</u> :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना, समाहरणालय परिसर, विकास भवन, कमरा नं0 – 17, जिला – शेखपुरा, पिन – 811105

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी –सह–सचिव, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त, शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा –सह–अध्यक्ष, मध्याह्न भोजन योजना, शेखपुरा